

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.2(24)नविवि/कोटा/2014

दिनांक: 7 OCT 2014

सचिव,
नगर विकास न्यास,
कोटा।

विषय:- मुख्तारनामे के संदर्भ में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक: एफ.2(2)/2014/7994 दिनांक
11.07.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान टउनशिप पॉलिसी-2010 (10 है0 से अधिक) के बिन्दु संख्या 5.01 बी (ii) में रजिस्टर्ड पावर ऑफ अर्टोनी/रजिस्टर्ड डवलपमेंट एग्रीमेंट लेने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानानुसार अपंजीकृत दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कनवर्जन रूल्स 2012 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ भी पावर ऑफ अर्टोनी रजिस्टर्ड वांछित होती है। तदनुसार 10 है0 तक की भूमि के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें।

भवदीय,

sd -

(जगजीत सिंह मोंगा)
शासन उप सचिव, द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
2. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/बीकानेर/उदयपुर/श्रीगंगानगर/भीलवाड़ा/आबू/जैसलमेर/बाड़मेर/चित्तौड़गढ़/पाली/सवाईमाधोपुर/सीकर/भिवाड़ी/भरतपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव, द्वितीय